न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी मोनिका बलारा (आर.ए.एस. प्रशिक्षु)

मुकदमा संख्या 59/2012

उनवान मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज बनाम राज0 राज्य वगै0

विषयः— प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी

उपस्थित अभिभाषक :— 1. श्री श्याम सुन्दर शर्मा वकील प्रार्थीगण।

2. श्री विष्णु सोमानी वकील अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक :— 28.09.2016

प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 श्री उमेदा पुत्र सुभान व फरियाद पुत्र सुभान जाति मुसलमान निवासी सूरवाल द्वारा जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें अंकित किया है कि उनवानी वाद पत्र मुकदमा संख्या 17/2002 में दिनांक 21.04.2010 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाकर वाद पत्र स्वीकार किया जा चुका है, जबकि इस बाद पत्र में हम प्रतिवादीगण न0 4 व 5 को आज तक किसी प्रकार का सम्मन प्राप्त नहीं हुआ और बाला तरिके से प्रतिवादी न0 4 के पुत्र के फर्जी दस्खत दूसरे आदमी का करके तामिल बताकर व प्रतिवादी न0 5 के फर्जी अगूंठा निशान किसी अन्य व्यक्ति से करवाकर तामिल बताकर दिनांक 19.12.2002 को एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई, जबकि प्रार्थीगणों को न्यायालय का सम्मन प्राप्त ही नहीं हुआ। ऐसी सूरत में निर्णय काबिल इखराज है। प्रार्थीयान को यदि न्यायालय का सम्मन मिल जाता तो वह न्यायालय में आकर अपनी ओर से वकील नियुक्त कर जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करते, लेकिन माननीय न्यायालय के सम्मन की गलत तामिल करवाकर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी। ऐसी सूरत में माननीय न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री काबिले निरस्त है। प्रार्थीगण को इस वाद पत्र की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.05.2011 को वादी विपक्षी ने जरिये वकील रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया व नोटिस दिनांक 06.05.2011 को मिलने पर हुई। इस पर प्रतिवादीगण ने दिनांक 09.05.2011 को न्यायालय में वाद पत्र की नकल व निर्णय मय डिक्री दिनांक 21.04.2010 प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 10.05.2011 को नकल प्राप्त हुई। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाज प्रस्तुत करना लाजमी आया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 19.12.2002 एक तरफा कार्यवाही निरस्त की जावें तथा प्रार्थियान को जवाबदेही व सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर पर दिया जावें तथा वाद पत्र की कार्यवाही को स्थगित किया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम वादीगण जारी किये। वादी मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज की ओर से वकालात नामा श्री विष्णु सोमानी वकील ने पेश किया। वादीगण की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। हमने उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी। वकील

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध दिनांक 19.12.2002 को किया गया एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में उम्मेदा के पुत्र सकील अली का नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति तथा न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 1006 पेश किया। वकील वादीगण द्वारा दोराने बहस बताया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तामिल कुनिन्दा द्वारा सही प्रकार से की गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वाद पत्र में उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2002 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई है व सही प्रकार से की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

हमने उभयपक्ष के वकुलायी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 1006 का स–सम्मान अवलोकन किया। उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर चश्पा नहीं होती है। तामिल कुनिन्दा द्वारा वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तामिल कुनिन्दा द्वारा सही प्रकार से की गई है। फरियाद की तामिल रिपोर्ट पर उसकी अंगुठा निशानी हो रही है, जिसके बारें में दोराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा कोई तर्क नहीं दिया है। प्रतिवादी संख्या 4 उम्मेदा की तामिल उसके पुत्र सकील द्वारा की गई है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उक्त तामिल रिपोर्ट को फर्जी होना बताया है। उक्त रिपोर्ट फर्जी है या नहीं जिसके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यदि उक्त तामिल सही नहीं है तथा हस्ताक्षर फर्जी है तो प्रार्थीगण कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। वाद पत्र संख्या 17/2002 में निर्णय दिनांक 21.04.2010 को पारित किया जा चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.05.2011 को लगभाग 1 वर्ष से भी अधिक समय बाद एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद लेने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण निर्णय दिनांक 21.04.2010 की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2016 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) सवाई माधोपुर